39. इस शर्त पर कि बिना होने वाला सरकारी कर्मचारी उस रुपये के लिए उत्तरदायी रहेगा जो उसके चार्ज में हो, कोई सक्षम अधिकारी यह घोषित कर सकता है कि नियम 38 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध (क) किसी विशेष मामले में लागू नहीं होगा।

40. जब कि सक्षम अधिकारी किसी मामले में अन्यथा निर्देश न करें :—

(क) यदि छुट्टियाँ अवकाश के पूर्व संयुक्त की जाती हैं तो अवकाश तथा उसके फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों का कोई भी पुनर्प्रबन्ध छुट्टियों के पश्चात् पहले दिन से लागू होगा, तथा

(ख) यदि छुट्टियाँ अवकाश या कार्यभार ग्रहण काल के साथ संयुक्त की जाती है तो अवकाश या कार्यभार ग्रहण काल उस दिन समाप्त हुआ माना जायेगा जिस दिन अवकाश या कार्यभार ग्रहण काल समाप्त हुआ होता, यदि छुट्टियाँ संयुक्त न की गई होती तथा अगर इसके फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों का कोई पुनर्प्रबन्ध किया जाये तो वह भी उसी दिन से लागू किया जायेगा।

41. यदि निर्णय करने के लिए कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण उपयुक्त नियम 38 के प्रतिबन्ध (ख) तथा (ग) के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या दूसरे स्थान से स्थानान्तरण होता हो, तो केवल उसी प्रतिस्थानी का हिसाब लगाया जायेगा जो अनुपस्थिति कर्मचारी के स्थान पर आये न कि उस एक सरकारी कर्मचारी के अवकाश में अनुपस्थिति के कारण किये गये प्रबन्ध की शृंखला के सभी सरकारी कर्मचारियों का।

42. [***]

42-क. जिला तथा सेशन न्यायाधीश और सिविल तथा सेशन न्यायाधीश के मामले में दीर्घावकाश को छुट्टी माना जायेगा और अवकाश के पहले या बाद में निम्नलिखित शर्तों के साथ संयुक्त किया जा सकेगा :—

(1) शासन द्वारा दीर्घावकाश की अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(2) दीर्घावकाश, अवकाश के पूर्व तथा बाद दोनों ओर संयुक्त नहीं किया जायेगा।

छुट्टियों का अवकाश तथा कार्य-भार ग्रहण काल के बाद संयुक्तीकरण

(3) ऐसे दीर्घावकाश को अवकाश की किसी विशेष अवधि में अधिकतम देय अवकाश की राशि की गणना के लिए अवकाश माना जायेगा किन्तु उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जिस पर साधारण अवकाश नियम लागू होते हों, छुट्टियाँ अकेले लिये गये औसत वेतन के अवकाश की किसी भी चार महीने से अनधिक अवधि से संयुक्त कर दी जाती है।

(4) उस अवधि को निश्चित करने के लिए, जिसमें अवकाश वेतन पर मूल नियम 89 में निर्धारित अधिकतम मासिक सीमा लगाई जाती है, दीर्घावकाश की औसत वेतन पर लिये गये अवकाश के समतुल्य समझना चाहिये।

(5) ऐसे दीर्घावकाश को मूल नियम 81 (घ) में निर्धारित ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि में सम्मिलित किया जायेगा। ❑

अध्याय 8

अवकाश से लौटने पर प्रस्तुत किया जाने वाला स्वस्थता का प्रमाण-पत्र

मूल नियम 71 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम

43. (क) उस सरकारी कर्मचारी से जिसने एशिया में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर अवकाश लिया हो ड्यूटी पर लौटने की अनुमति देने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वस्थता के प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

"हम/मैं चिकित्सा परिषद् का सदस्य

.....

.....का सिविल सर्जन

.....

.....रजिस्टर्ड डाक्टर

एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि हमने / मैंने.....विभाग के श्री क, ख, ग.....की सावधानी से परीक्षा कर ली है और यह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं, तथा सरकारी सेवा में ड्यूटी पर लौटने योग्य हैं।"

"हम / मैं यह भी प्रमाणित करते हैं / करता हूँ कि उपर्युक्त निर्णय पर पहुँचने के पूर्व हमने / मैंने मूल चिकित्सीय प्रमाण-पत्र का तथा मामले के विवरण का (अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा उनका प्रमाणित प्रतिलिपियों का) जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुँचने के पूर्व इस पर विचार कर लिया है।"

टिप्पणी—(क) उपर्युक्त प्रपत्र को भारत सरकार ने अपने नियमकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों के लिये निर्धारित किया है। राज्यपाल ने भी इस प्रपत्र को अपने नियमकारी नियन्त्रण में आने वाले सेवाओं के लिए निर्धारित किया है।

(ख) यदि अवकाश पर गया हुआ सरकारी कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी है तो ऐसे प्रमाण-पत्र पर किसी चिकित्सीय समिति के हस्ताक्षर होने चाहिये फिर भी इन मामलों में जहाँ—

(1) अवकाश 3 मास के अधिक नहीं है,

या

(2) यदि अवकाश 3 मास से अधिक है, अथवा 3 मास या उससे कम के अवकाश को 3 मास से आगे बढ़ा दिया हो, किन्तु यदि चिकित्सा समिति के मूल प्रमाण-पत्र या प्रसार के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए दूसरी समिति के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, तो—

प्रमाण-पत्र पर किसी एक कमीशण्ड चिकित्सा अधिकारी या किसी असैनिक स्थान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं। यदि अवकाश लेने वाला सरकारी कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी नहीं है तो सक्षम अधिकारी, अपने विवेक पर, ऐसे डाक्टर द्वारा हस्ताक्षर किये गये प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर सकते हैं जिसने अपना नाम उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अधिनियम (सन् 1917 के अधिनियम 3) के अन्तर्गत निबंधित करवाया हुआ हो। प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित, किसी निबन्धित महिला डाक्टर का ही प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

टिप्पणी—राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, जिससे चिकित्सा समिति से स्वस्थता के प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, अपने अवकाश के समाप्त होने की तिथि से पूर्व होने वाली बैठक में समिति के समक्ष अपने को उपस्थित करेगा यदि उस तिथि को समिति की कोई बैठक न होने वाली हो जिस तिथि को उसका अवकाश समाप्त होता हो।

Scanned with CamScanner

69. अवकाश पर रहते हुये कोई सरकारी कर्मचारी कोई सेवा नहीं कर सकता या कोई रोजगार स्वीकार नहीं कर सकेगा बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए हुए:—

(क) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार एशिया से कहीं बाहर है तो सेक्रेटरी आफ स्टेट की;

(ख) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत से बाहर परन्तु एशिया के अन्दर है तो राज्यपाल की;

(ग) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत ही में है तो राज्यपाल या किसी अन्य ऐसे अधीनस्थ प्राधिकारी को जिसे उसको नियुक्त करने का अधिकार हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के पूर्व लिये गए अवकाश में यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कोई सेवा करने या रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दे दी गयी है, तो उसे राज्यपाल की या किसी ऐसे अधीनस्थ प्राधिकारी की जिसे उसको नियुक्त करने का अधिकार है, जैसी भी स्थिति हो, विशिष्ट सहमति के बिना सेवा निवृत्ति पर जाने की अनुमति के लिये की गयी प्रार्थना को वापस लेने तथा ड्यूटी पर लौटने से रोक दिया जायेगा।

टिप्पणी—यह नियम आकस्मिक साहित्यिक कार्य या सेवा या परीक्षण या ऐसे ही अन्य कार्य पर लागू नहीं होता। सेवा को वह बाह्य न स्वीकार कर लेने पर लागू होता है जो नियम 110 से नियन्त्रित होती है।

नियम 69 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

1. उस मामले में जिसमें सरकारी कर्मचारी को चैकित्सिक प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया हो, इस नियम का अर्थ यह न लगा लेना चाहिये कि उसको ऐसे अवकाश में कोई अन्य नियमित रोजगार करने की अनुमति दे दी गयी है।

2. उन अधिकारियों को जो सेवा निवृत्ति से पूर्व लिये गए अवकाश पर हों और सरकारी सेवा करना चाहते हों यह विकल्प दे दिया जायेगा कि वे या तो तुरन्त सेवा से निवृत्त हो जायें या तब तक अवकाश पर चलते रहें जब तक उनको अनुमन्य अवकाश समाप्त न हो जाय, परन्तु शर्त यह होगी कि जब तक वे सरकार की सेवा में रहें, अवकाश वेतन उसी धनराशि तक सीमित रहेगा। जितनी पेन्शन उनको सेवा निवृत्ति होने पर अनुमन्य हो। उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो पेन्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं और अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व ली गई छुट्टी की अवधि में अपने, वर्तमान विभागों के अतिरिक्त भारत या पाकिस्तान के किसी अन्य विभाग में पुनर्नियुक्त हो जाते हैं, अवकाश वेतन की धनराशि पूर्ण वेतन या वे अवकाश में अनुमन्य अवकाश वेतन के या औसत वेतन के आधे तक सीमित रहेगी जैसी भी स्थिति हो।

70. अवकाश समाप्त होने के पूर्व सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी पर वापस बुलाने के सब आदेशों में यह उल्लेख होना चाहिये कि ड्यूटी पर लौटाना स्वेच्छा पर निर्भर है या अनिवार्य है। यदि वापस आना स्वेच्छा पर निर्भर है तो सरकारी कर्मचारी किसी सुविधा को पाने का अधिकारी नहीं है। यदि वह अनिवार्य हो, तो निम्नलिखित का अधिकारी है—

(क) यदि वह अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया जाता है, भारत के बाहर लिया गया है तो—

(1) बिना समुद्र यात्रा का किराया दिये भारत वापस आने का और यदि वापस बुलाने पर भारत को प्रस्थान करने की तिथि तक उसके अवकाश की आधी अवधि या तीन महीने की अवधि इनमें से जो भी कम हो, समाप्त न हो गयी हो तो भारत से बाहर जाने में जो समुद्र यात्रा का किराया उसने दिया हो उसका वापस पाने का;

(2) भारत आने के लिये समुद्र यात्रा पर व्यतीत किये गये समय को अवकाश की गणना करने के लिये ड्यूटी के लिये गिने जाने का;

(3) भारत लौटने के लिए की गई समुद्र यात्रा की अवधि में तथा भारत में उतरने की तिथि से अपने पद का कार्यभार सम्भालने की तिथि तक उसी दर से अवकाश वेतन पाने का जिस दर से वह पाता यदि वह छुट्टी से वापस न बुलाया जाता मगर साधारणतया तभी लौटता जब उसकी छुट्टी समाप्त होती और बाद वाली अवधि में इस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता पाने का;

(ख) यदि वह अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया जाय भारत ही में लिया गया हो तो वह उस तिथि से ड्यूटी पर माने जाने का जिस तिथि से वह उस स्थान के लिये प्रस्थान करे जहाँ पर उसको पहुँचने के आदेश दिए गए हैं और अपनी यात्रा के लिए इस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा बनाये गए नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता पाने का, लेकिन जब तक वह अपने पद का कार्यभार न सम्भाल ले उसको केवल अवकाश वेतन मिलेगा।

नियम 70 से सम्बन्धित राज्यपाल के अनुदेश

1. सरकारी कर्मचारी को भारत के बाहर लिए गये अवकाश से वापस बुलाने के आदेश उसको सरकारी तौर पर भारत के उच्चायुक्त के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

2. इस नियम के दूसरे वाक्य में उल्लिखित सुविधा इस नियम के द्वारा अनुमय श्रेणी की सुविधा है। नियम 70 के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं का अभिप्राय स्पष्ट ही यह नहीं है कि वे सरकारी कर्मचारियों को अन्य नियमों के अन्तर्गत देय विशेषाधिकारों पर प्रभाव डालें। इन सुविधाओं का उपभोग तभी करना चाहिये यदि वे साधारण विशेषाधिकारों से अधिक लाभप्रद या उनके अतिरिक्त हों।

नियम 70 (क) (3) से सम्बन्धित लेखा परीक्षा अनुदेश

मूल नियम 70 के खन्ड (क) (3) में प्रयुक्त शब्द "उसके अवकाश समाप्त होने पर" के अर्थ हैं। "वापस बुलाने के कारण अवकाश की जो अवधि समाप्त हो जाती है न कि वह अवधि जब मूल रूप से प्रदान किया गया पूरा अवकाश समाप्त हो।" इस अर्थ के लगाने का प्रभाव यह होगा कि भारत में यात्रा-काल में जो समय लगेगा उसमें उसको वही अवकाश वेतन देय होगा जो उसको मिलता यदि ड्यूटी पर वापस आना उसकी स्वेच्छा पर निर्भर होता और समुद्र यात्रा का समय उसका अवकाश ही होता और भारत में यात्रा का समय भी या तो अवकाश ही होता या मूल नियम 105 के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण काल होता, जैसी भी स्थिति हो।

71. कोई सरकारी कर्मचारी जिसको चैकित्सिक प्रमाण-पत्र पर अवकाश प्रदान किया गया हो ऐसे स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बिना अवकाश से ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकता जिसे राज्यपाल ने नियम या आदेश द्वारा निर्धारित कर दिया हो। शासन ऐसे प्रमाण-पत्र की अपेक्षा उस सरकारी कर्मचारी के मामले में भी कर सकता है जिसे स्वास्थ्य के कारण अवकाश प्रदान किया गया हो, चाहे ऐसा अवकाश वास्तव में चैकित्सिक प्रमाण-पत्र के आधार पर भी न प्रदान किया गया हो।

(नियम 71 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के लिए इस खन्ड के भाग 3, अध्याय 8 को देखिए।)

72. जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उसको अनुमति न दे दे, अवकाश पर गया हुआ कोई सरकारी कर्मचारी उसे प्रदान किये गये अवकाश की अवधि की समाप्ति के पूर्व चौदह दिनों से अधिक पहले ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकेगा।

73. किसी सरकारी कर्मचारी को जो अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अनुपस्थिति रहता है ऐसी अनुपस्थिति के लिये कोई अवकाश वेतन पाने का अधिकारी नहीं है और उस अवधि को उसके अवकाश लेने के अर्द्ध-औसत वेतन का अवकाश मान कर घटा दिया जायेगा, जब तक कि उसके अवकाश को शासन बढ़ा न दे। अवकाश समाप्त हो जाने के पश्चात् ड्यूटी से जानबूझ कर अनुपस्थिति नियम 15 के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार माना जा सकेगा।

टिप्पणी—उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मूल नियम 81-ख और सहायक नियम 157-क से नियन्त्रित होते हैं यदि वह अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अनुपस्थिति रहें, तो ऐसी अनुपस्थिति को समय को निम्न प्रकार से माना जाना चाहिये, जब तक कि अवकाश को सक्षम प्राधिकारी ने बढ़ा न दिया हो—

(क) यदि सरकारी कर्मचारी प्रवर वर्ग सेवा में है और उसका किसी स्थायी पद पर नियत है तो—

(1) निजी कार्य के लिये दिया गया अवकाश जितनी सीमा तक वह देय हो, जब तक कि अवकाश के बाद अनुपस्थिति की अवधि के समर्थन में कोई चैकित्सिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया गया हो।

Scanned with CamScanner

लिये 2-1/2 (ढाई) दिन की दर पर जमा किया जायेगा ऐसे मामलों में उस विशिष्टि छमाही के प्रारम्भ से उस दिनांक तक जब वह सरकारी सेवक न रह जाए, उपभोग किये गये असाधारण अवकाश के कारण कटौती उस विशिष्ट छमाही के लिये उसके अवकाश लेखे में जमा किये गये अर्जित अवकाश से की जायेगी, यदि पहले से उपभोग किया गया अर्जित अवकाश इस प्रकार उसे देय जमा अवकाश से अधिक हो तो अधिक आहरित किये गये अवकाश वेतन, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन किया जायेगा। अतएव उस मास के सम्बन्ध में जिसमें वह सरकारी सेवक न रह जाये, सम्बन्धित सरकारी सेवक को कोई अवकाश वेतन और या वेतन का कोई भुगतान करने के पूर्व समक्ष प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसे इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है और अवकाश वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

(छह) अर्जित अवकाश जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

(सात) यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन को अवकाश पर हो तो वह कैलेण्डर वर्ष की आने वाली छमाही के प्रथम दिन को अपने अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले अर्जित अवकाश का उपभोग, इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये, करने का हकदार होगा कि अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी सेवक अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौट आवेगा।

(आठ) अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे, जैसे कि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थे बन्द कर दिये जाएंगे और 31 दिसम्बर, 1977 को उनके लेखे में जमा अर्जित अवकाश उनके नये अवकाश लेखे में, जिसे इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 11-घ में रखा जायेगा, अग्रनीत किया जायेगा।

(नौ) सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ सरकारी सेवक के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अर्जित अवकाश स्वीकृत करने वाले आदेश में, उस समय सम्बन्धित सरकारी सेवक के लेखे में जमा अर्जित अवकाश का अतिशेष इंगित किया जायेगा।

(दस) फण्डामेण्टल रूल्स 67 और 86-ए के उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

(क) किसी सरकारी सेवक को एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अर्जित अवकाश की अधिकतम अवधि यदि वह भारतवर्ष में वितायी जाय, एक सौ बीस दिन होगी।

(ख) उसे 120 दिन की अवधि से अधिक, किन्तु 180 दिन से अनधिक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि इस प्रकार स्वीकृत सम्पूर्ण अवकाश या उसका कोई भाग विदेश में बिताया जाए, किन्तु भारत में विताये गये ऐसे अवकाश की कुल अवधि 120 दिन की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ग्यारह) किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक की स्थिति में—

(क) उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि को ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिये जिसमें वह पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करता है, तीस दिन तक कम कर दी जायेगी।

(ख) यदि उसे सरकारी कार्य के कारण किसी वर्ष में पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने से, जैसा के सब्सीडियरी रूल्स 145 और 146 में व्यवस्थित है रोक दिया जाता है, जो उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश को 30 दिन के उस भाग तक कम कर दिया जायेगा, तो उस अनुपात के बराबर हो जो उपभोग किये गये दीर्घावकाश के भाग का दीर्घावकाश की पूर्ण अवधि से है।

(ग) यदि किसी वर्ष में वह सब्सीडियरी रूल्स 145 और 146 के निबन्धों के अनुसार दीर्घावकाश का उपभोग नहीं करता तो उसके अनुमन्य अर्जित अवकाश को कम नहीं किया जायेगा।

(घ) दीर्घावकाश को इस नियमावली के अधीन किसी प्रकार के अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जा सकता है, बशर्ते कि दीर्घावकाश अर्जित अवकाश को जो अन्य अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जाय या नहीं, कुल अवधि इस नियम के खण्ड (दो) के अधीन एक बार में उसको अनुमन्य अर्जित अवकाश से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि जब वह उच्चतर प्राविधिक अर्हतायें प्राप्त करने के लिये लिया जाय, तब उसकी सीमा दो सौ सत्तर दिन होगी।

(बारह) किसी सरकारी सेवक को उसके लेखे में जमा अर्जित अवकाश के भाग को अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा दी जा सकती है और उसे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसार उसके बदले में नकद भुगतान किया जा सकता है।

(2) चिकित्सा प्रमाण-पत्र छुट्टी—(क) किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिस पर यह नियमावली लागू होती है, उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल बारह महीने तक छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी केवल ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी जिसे राज्यपाल सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें और उसकी अवधि उक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई अवधि से अधिक नहीं होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जब बारह महीने की अधिकतम अवधि समाप्त हो जाय तो आपवादिक मामले में चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों पर सम्पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल मिलाकर छः मास तक की और छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जिनमें सरकारी कर्मचारी ने इस नियमावली के उन पर लागू होने के दिनांक के पूर्व यथास्थिति मूल नियम 81-ख और सहायक नियम 157 अथवा 157-क के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी ले ली हो तो यथास्थिति मूल नियम 81-ख और सहायक नियम 157-क के अधीन ली गई ऐसी छुट्टी की अवधि और सहायक नियम के 157 के अधीन ली गयी उक्त छुट्टी की आधी अवधि की गणना उसे इस नियम के अधीन छुट्टी का हिसाब लगाने में की जायेगी।

(ख) इस नियम के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा। सब्सीडियरी नियम-87 भी देखें।

[1][**3.निजी कार्यों पर अवकाश**—ऐसे सरकारी सेवक को, जिस पर ये नियम लागू होते हैं उसको सम्पूर्ण सेवा के दौरान निजी कार्यों पर कुल तीन सौ पैंसठ दिन से अनधिक का अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(एक) वह प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में इकतीस दिन का निजी कार्य पर अवकाश का हकदार होगा, राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में निजी कार्य पर अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया 1 जुलाई, 1979 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

1. **अधिसूचना सं० 4 सा-4-1071/दस 1992-20-1-76 दिनांक 21-12-1992 जो कि उ० प्र० गजट भाग 11915 (क) दि० 5-3-1994 को प्रकाशित हुआ।**

6.(क) मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत 4 महीने के अवकाश लेखे से न घटाये जाने वाले औसत वेतन के अवकाश के अतिरिक्त अधिकतम अवकाश की अवधि जो मूल नियम 83 (7) (ख) या मूल नियम 8 (ख) या दोनों के अन्तर्गत की जा सकती है केवल 8 महीने हो सकती है। यह निष्कर्ष मूल नियम 83 (7) (ख) से निकलता है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के औसत वेतन के बराबर अवकाश वेतन दे दिया जाता है, जो ऐसी अवधि से अधिक न हो जो उस औसत वेतन के अवकाश के रूप में अन्यथा होती। मूल नियम 81 (ख) के अन्तर्गत यह अवधि 4 महीने *** तक सीमित है। *** जिसको कुछ परिस्थितियों में 4 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। *** औसत वेतन पर 8 महीने का अवकाश, यदि मूल नियम 81 (ख) के अन्तर्गत देय हो, और सारा मूल नियम 81 (7) (ख) के अन्तर्गत लिया जाये, तो पहले वाले नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत औसत वेतन पर, और आगे कोई अवकाश नहीं लिया जा सकता। अतएव सरकारी कर्मचारी को औसत वेतन पर जो कुल अवकाश दिया जा सकता है वह केवल 12 महीने हैं— अर्थात् 4 महीने मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत और 8 महीने मूल नियम 83 (7) (ख) या मूल नियम 81 (ख) या दोनों के अन्तर्गत।

(ख) मूल नियम 83 (4) के अन्तर्गत विशेष विकलांगता अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को सम्मिलित किया जा सकता है। विशेष विकलांगता अवकाश को अवधियों के बीच में साधारण अवकाश के लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत लिये जाने वाले विशेष विकलांगता अवकाश को छोड़कर औसत वेतन की जो सीमायें मूल नियम 81 (ख) में दी गई हैं उससे और अधिक न होने पावे। मूल नियम 83 (4) के विस्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि मूल नियम 81 (ख) में स्पष्ट निर्देश है कि अधिकतम की गणना करने में मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत लिये गये अवकाश के लिये अतिरिक्त औसत वेतन पर लिये गये अन्य अवकाश को नहीं निकाला जाना चाहिए।

81-क. [* * *]

81-ख. एशिया से बाहर अधिवास करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें विदेशों में विशेष रूप से भर्ती किया जाय तथा जो छुट्टी के विषय में ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जिन्हें सरकार प्रत्येक मामले में नियत करे, निम्नलिखित छुट्टी के नियम नीचे दिये गये व्यक्तियों पर लागू होंगे:

(क) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1966 को या उसके बाद सरकारी सेवा में प्रविष्ट हों, और स्थायी पद पर धारणाधिकार रखते हों अथवा यदि उनका धारणाधिकार निलम्बित न किया गया होता तो उस पद पर धारणाधिकार रखते:

(ख) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1966 के पहले भर्ती किये गये हों और जिस पर उक्त दिनांक को मूल नियम 81-ख लागू होता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि 1 अप्रैल, 1966 को उनके नाम जमा अर्जित छुट्टी बनी रहेगी और उक्त दिनांक से इस नियम के उपनियम के उपनियम (1) के अधीन अतिरिक्त छुट्टी अर्जित करेंगे;

(ग) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1936 से पूर्व भर्ती किये गये हों और जिन पर मूल नियम 81 लागू होता हो और जो लिखित रूप में इन नियमों के अन्तर्गत आने का चुनाव करें और इस आशय की विशिष्ट घोषणा सरकार को करें। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि;

(i) ऊपर अभिदिष्ट विकल्प का प्रयोग करने के दिनांक को ऐसे सरकारी कर्मचारी के नाम जमा औसत वेतन पर शेष छुट्टी व्यपगत नहीं होगी। वह पहले एक सौ अस्सी दिन

से अधिक की ऐसी समस्त छुट्टी को समाप्त करेगा और जब ऐसी छुट्टी का बकाया इस अवधि से कम हो जाय, तब वह इस नियमावली के अधीन छुट्टी अर्जित करना आरम्भ कर देगा।

(ii) मूल नियम 81 के खन्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर पहले ली जा चुकी छुट्टी, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर स्वीकृत की जाने योग्य बारह महीने की छुट्टी की अधिकतम सीमा से काट ली जायेगी।

(iii) मूल नियम 81 के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन भारत, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, वर्मा अथवा अदन के अलावा कहीं अन्य स्थान पर बिताई गई चार माह से अधिक की औसत वेतन पर छुट्टी के दिनों की संख्या इस नियम के उप नियम (3) के अधीन निजी कार्य के लिये आधे औसत वेतन पर स्वीकृत की जाने योग्य 365 दिनों की छुट्टी की अधिकतम सीमा से काट ली जायेगी; किन्तु यदि कुल छुट्टी 365 दिन से अधिक हो जाय तो निजी कार्य पर कोई और छुट्टी अर्जित नहीं की जायेगी।

(1) [1][**अर्जित अवकाश**—राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में अर्जित अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(एक) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दो छमाही किश्तों में इकतीस दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को सोलह दिन का अर्जित अवकाश और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(दो) वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर सरकारी सेवा के लेखे में जमा अर्जित अवकाश वर्ष की अगली छमाही में इस शर्त के अधीन रहते हुये अग्रेनीत किया जायेगा कि इस प्रकार अग्रेनीत अवकाश तथा अगली छमाही को जमा अवकाश 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जिसे एक जनवरी उन्नीस सौ सत्तासी से बढ़ाकर दो सौ चालीस दिन कर दिया गया है।

1 जनवरी, 1978 को या उसके पश्चात् किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, उसके अवकाश लेखे में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिये, जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष की छमाही में की जानी प्रत्याशित है जिसमें वह नियुक्त किया गया है 2-1/2 (ढाई) दिन प्रति मास की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(तीन) जब कुल अर्जित अवकाश दो सौ चालीस दिन हो जाय तब सरकारी सेवक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

टिप्पणी—एक सौ अस्सी दिन की सीमा को 1 जनवरी, 1987 से बढ़ाकर 240 दिन कर दिया गया।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा किये गये अर्जित अवकाश में से पिछली छमाही के दौरान उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक पन्द्रह दिन की अधिकतम सीमा के अधीन, कम कर दिया जायेगा।

(पाँच) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवा-निवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाए, अर्जित अवकाश उस दिनांक तक, जब वह सरकारी सेवक न रह जाए प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के

1. अधिसूचना सं० 4 सा-4-1071/दस 1992-20-1-76 दिनांक 21-12-1992 जो कि उ० प्र० गजट भाग 1-खण्ड (क) दि० 5-3-1994 को प्रकाशित हुआ।

Scanned with CamScanner